न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील / 49 / 2021

अपीलांट श्री थानराज करेला पुत्र श्री बुधाराम करेला
निवासी मालासर, पोस्ट सिमरखिया खारा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिडा

आदेश

दिनांक : 03.08.2021

अपीलार्थी श्री थानराज करेला पुत्र श्री बुधाराम करेला निवासी मालासर, पोस्ट सिमरखिया खारा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार गिडा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 08.07.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर / पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या ऑनलाईन दिनांक 04.03.2021 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिडा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रतियां तैयार की जाकर शुल्क के संबंध में भुगतान हेतु प्रार्थी को सूचना भिजवाई गई। आरटीआई पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण उक्त सूचना विलम्ब से दी गई क्योंकि गृह विभाग के आदेश दिनांक 18.04.2021 अनुसार न्यूनतम कार्मिकों के साथ कार्यालय खोलने के निर्देश कोविड गाईडलाईन के अनुसार जारी किये गये थे। प्रार्थी की ओर से प्रमाणित प्रतियों के शुल्क भुगतान का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही शुल्क भुगतान किया गया जिससे सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में आरटीआई पोर्टल पर तकनीकी समस्या से शुल्क अदायगी की सूचना विलम्ब से अवश्य दी गई है किन्तु ऑफलाईन भिजवाये गये पत्र के अनुसार अपीलार्थी को शुल्क की जानकारी थी। इसके अलावा गृह विभाग द्वारा जारी कोविड गाईडलाईन के अनुसार न्यूनतम कार्मिकों के साथ कार्यालय खोलने के निर्देश होने से उक्त कार्यवाही में किया गया विलम्ब तार्किक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण विद्यमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यथेचित [illegible] नहीं किया [illegible] है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह [illegible]क स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:34 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलांट की यह [illegible] अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिडा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तु[illegible]–पत्र में वांछित सूचना निर्धारित शुल्क अदायगी पर उपलब्ध करव[illegible] हुए प्रार्थना–पत्र का निस्त[illegible]मानुसार शीघ्र किया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर